मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 9 /03/2020

क्र. एफ 16-44/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स ए.सी.सी. लि. द्वारा ग्राम अमेठा, जिला कटनी में रू. 1764 करोड़ के पूंजी निवेश से 2.7 मिलियन टन क्लिंकर एवं 1 मिलियन टन सीमेंट प्रतिवर्ष क्षमता की ग्रीन फील्ड सीमेंट परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2019) अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
2. विद्युत शुल्क से छूट:- नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर 132 के व्ही कनेक्शन के लिये 7 वर्षों की अवधि हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे। प्रकरण विशेष हेतु ऊर्जा विभाग पृथक से विद्युत शुल्क से छूट संबंधी अधिसूचना जारी करेगा।
3. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
4. उक्त सुविधाएं परियोजना अंतर्गत सडक परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनो के उपयोग किए जाने तथा नीति अन्तर्गत प्राप्त सहायता का पुनर्निवेश इकाई के विस्तार एवं आधुनिकीकरण में किये जाने संबंधी अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत किए जाने पर देय होगी।
5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

2/ यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के निर्णय के आईटम क्रमांक 03 दिनांक 06/02/2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

9/3/20

(डॉ. राजेश राजौरा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर........

पृ.क्र. एफ 16-44/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 9 /03/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
4. कलेक्टर, जिला कटनी ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स ए.सी.सी. लि., 121, Maharshi Karve Road Mumbai - 400020.

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग